पत्रांकः— 1/PMC/विविध/944/2014.....244

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 योगेश्वर धारी सिंह,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 27/03/2017

विषयः— निर्माण कार्यों में व्यवहृत सभी लघु खनिज के बावत स्वामित्व के अतिरिक्त जुर्माना की वसूली करते हुए पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः— खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार का पत्रांक— सी0सी0—03/13—721, दिनांक—10.03.2017. सी0सी0—03/13—725, दिनांक—10.03.2017 एवं सी0सी0—03/13—724, दिनांक—10.03.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र कि छायाप्रति संलग्न करते हुऐ निदेशानुसार कहना है कि पत्र में दिए गए निदेशों का अनुपालन करते हुए विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0—यथावत्।

विश्वासभाजन

27.03.17

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

fazal/ draft 77

1313

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–सी0सी0–03/13–............................/एम0,पटना, दिनांक–

प्रेषक,

हरजोत कौर बम्हरा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग ।
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग ।
प्रधान सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग ।
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग ।
प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग ।
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग ।
प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **निर्माण कार्यों में व्यवहृत सभी लघु खनिज के बावत स्वामिस्व के अतिरिक्त जुर्माना की वसूली करते हुए पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक 33/एम0 दिनांक 12.01.16, 355/एम0, दिनांक 06.02.17 एवं एतद् विषयक अन्य संदर्भित पत्र।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि :–

2– Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 के नियम–40 (8), 40(9) एवं 40(10) के तहत किसी भी निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले लघु खनिजों (बालू, पत्थर, ईंट मिट्टी, मोरम एवं साधारण मिट्टी) के क्रय एवं व्यवहृत होने के विषय पर आवश्यक कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। सभी कार्य विभागों/तकनीकी ईकाइयों द्वारा जो निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, उनमें व्यवहृत किये गये/किये जा रहे लघु खनिजों (बालू, पत्थर, ईंट मिट्टी, मोरम, साधारण मिट्टी) की प्राप्ति के स्त्रोत वैध हैं, अथवा नहीं, एवं राजस्व (स्वामिस्व) का भुगतान किया गया है, अथवा नहीं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अवगत हैं कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली (BMMC Rules), 1972 के प्रावधानानुसार बगैर समनुदान के राज्य की खनिज सम्पदा के खनन, प्रेषण/परिवहन एवं भंडारण की क्रियाएँ एवम् अवैध स्त्रोतों से खनिजों की अधिप्राप्तियाँ भी अवैध हैं।

3– ज्ञातव्य हो कि दिनांक–22.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक में सभी कार्य विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ कराये जा रहे निर्माण कार्यों में व्यवहृत लघु खनिजों के बाबत खनन–राजस्व की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने तथा उक्त निर्माण कार्यों में व्यवहृत लघु खनिजों से संबंधित विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्था लागू करने का निदेश दिया गया था एवं समय–समय पर इस विषय की गहन समीक्षा भी विभाग/सरकार के स्तर पर की जाती रही है।

यह बात भी विदित है कि इस विषय पर अनुपालन दृढ़ता पूर्वक कराये जाने से लघु खनिजों की प्राप्ति के वैध स्त्रोतों की जानकारी हासिल होगी, एवं अप्रत्यक्ष तौर पर अवैध खनन, प्रेषण, परिवहन एवं भंडारण की क्रियाओं पर भी रोक लगेगी।

808
2/3/17

312

उपरोक्त के आलोक में अधोलिखित निदेश पुनः संसूचित किये जाते हैं–

(क) आपके जिला क्षेत्रान्तर्गत कार्य विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, पंचायती राज्य संस्थानों एवं नगर निकायों के द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों में व्यवहृत लघु खनिज की खनन रॉयल्टी की वसूली के बिन्दुओं पर Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 के संदर्भित नियमों के सुलभ प्रसंग हेतु संबंधित नियम नीचे दिये जा रहे हैं:–

(i) **Rule 40(8)** – *" Whoever removes minor mineral without valid lease / permit or on whose behalf such removal is made otherwise than in accordance with these Rules he be an agent, Manager, Contractor or a sub-lessee, shall be presumed to be a party to the illegal removal of the minor mineral and shall be liable to pay (the price thereof and the Government may also recover from such person rent, royalty or taxes as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority) without prejudice to other action being taken against him under these Rules or any other law for the time being in Force.*

(ii) **Rule 40(9)**- *Notwithstanding anything contained in rule 40(8) hereinbefore whosoever, under the terms of an agreement other than an agreement under these rules at any time has received or receives cost of minor mineral/ material including royalty under the terms of the said agreement shall deposit that royalty which is included in such cost of mineral / material in the manner prescribed in rule 43 hereinafter, within seven days from the date of receipt of such cost of mineral / material.*

Any royalty received as such by such person before the commencement of this rule shall be deposited by him within fifteen days from the date of commencement of this rule.

Provided that if a sum equal to the royalty included in the cost of mineral / material so received has already been paid or deposited prior to receipt of cost of the mineral / material including royalty by him he shall not be required to deposit the royalty said above.

Provided further that any royalty payable under this rule, if not paid when due be recovered with interest @ 15 percent per annum as an arrear sum of public demand."

(iii) **Rule 40(10)**- *"To prevent evasion of royalty it is provided that works contractor shall purchase the minerals from lessee/permit holder and authorized dealers only and no Works Department shall receive the bill which the works contractors submit to recover cost etc. of mineral used by them in completion of the works of the Works Department under any agreement from the works contractor if the said bill is not accompanied by an affidavit in Form "M" with particulars in Form "N" of these rules along with a photo copy of the said affidavit and particulars. It shall be the duty of the officer who receives or on whose behalf the said bill is received to send the photocopy of the Affidavit and particulars to the District Mining Officer/Assistant Mining Officer within whose jurisdiction the mineral was allegedly purchased, for verification.*

If contents of the said affidavit on verification by the concerned District Mining Officer/Assistant Mining Officer is found to be false either wholly or partly is shall be presumed that the concerned minerals was obtained by illegal mining and in that event the said District Mining

Officer/Assistant Mining Officer shall take action as prescribed in these rules against the maker of the said affidavit.

Provided that if the works contractor deposits or pays the royalty in respect of the mineral so consumed /supplied by him as shown in the aforesaid affidavit and particulars the said District Mining Officer/Assistant Mining Officer in his discretion may not take action as prescribed in this rule."

Explanation – For the purposes of this rule:-

(i) *"Works Department" means department of the Central or State Government including Company, Corporation, Undertakings, Autonomous body of the government engaging works contractors for any kind of construction on its behalf.*

(ii) *"Works Contractor" means an individual, a firm, a company, an association or body of individuals who under an agreement, with the Works Department work for the said Department ."*

(ख) निर्माण कार्यों में व्यवहृत लघु खनिजों की प्राप्ति के वैध स्त्रोत देखे जाने हैं, वैध स्त्रोत की निरंतर जाँच होती रहनी है, एवं निरंतर तौर पर देय रॉयल्टी के भुगतान की समीक्षा भी आवश्यक है। प्रमाद की स्थिति में कार्य संवेदकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निदेश भी विभिन्न विभागीय पत्रों से आपको लगातार संसूचित हैं।

(ग) उल्लेखनीय है कि व्यवहृत सभी लघु खनिजों (ईट, मोरम, पत्थर, बालू साधारण मिट्टी आदि) के क्रय से संबंधित विवरण नियमानुसार विहित प्रपत्र "एम" एवं "एन" में शपथ पत्र के साथ कार्य संवेदक द्वारा कार्य विभाग में समर्पित किया जायेगा, जिसे कार्य विभाग द्वारा संबंधित जिला खनन् कार्यालय में सत्यापन हेतु भेजा जाएगा। कार्य संवदेकों द्वारा सम्पन्न निर्माण कार्यों के विरूद्ध समर्पित विपत्रों का फॉर्म–'एम' एवं 'एन' समर्थित होना नियमानुसार अनिवार्य है।

(घ) जिन मामलों में कार्य संवेदक द्वारा अपने विपत्र के साथ प्रपत्र "एम" एवं "एन" में समर्पित नहीं किया गया है, वैसे मामलों में बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में संबंधित संवेदक के विपत्र से उनके द्वारा व्यवहृत संपूर्ण लघु खनिजों के बाबत स्वामिस्व की राशि के साथ ही स्वामित्व के समतुल्य जुर्माने की राशि की कटौती कर संबंधित कार्य विभाग द्वारा खनन् शीर्ष में जमा कराना है।

(ङ) गौरतलब है कि जिन मामलों में कार्य संवेदक द्वारा समर्पित प्रपत्र "एम" एवं "एन" जाँचोपरांत अथवा संबंधित जिला खनन कार्यालय के सत्यापनोपरांत गलत पाए जाते है, उनसे एक ओर जहाँ राज्य सरकार को स्वामिस्व की कोई प्राप्ति नहीं होती है, वहीं दूसरी ओर उक्त संवेदकों द्वारा सरकार को गलत कागजात समर्पित कर धोखा देने का मामला बनता है। ऐसे सभी मामलों में स्वामिस्व के अतिरिक्त उक्त संवेदकों से खनिज मूल्य के समतुल्य जुर्माना की वसूली हेतु कार्रवाई की जाय तथा उनके विरूद्ध धोखाधड़ी के अभियोग में प्राथमिकी दर्ज करायी जाय।

(च) आपके विभाग के सभी कार्य प्रमण्डलों में संचालित सभी योजनाओं तथा उनमें व्यवहृत होनेवाले लघु खनिजों का प्राक्कलित विवरण, कटौती की गयी राशि (जिसे खनन शीर्ष में जमा कराया गया है) एवं व्यवहृत लघु खनिजों की मात्रा/प्रकार से संबंधित योजनावार विवरण संलग्न प्रपत्र में संबंधित जिला खनन कार्यालय में त्रैमासिक आधार पर (quarterly basis) जमा करने का निदेश भी अपने अधीनस्थ सभी प्रमंडलों/पदाधिकारियों को कृपया दें।

(छ) यदि किसी कार्य विभाग अथवा उसके अधीनस्थ किसी कार्यालय द्वारा पूर्व में की गई कटौती राशि का भुगतान खनन शीर्ष में नहीं किया गया है तथा अपने पास लंबित रखा गया है, तो उक्त संपूर्ण राशि को अविलम्ब खनन् शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करते हुए इसकी सूचना संबंधित जिला खनन् कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
ह०/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–...../एम0,पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी जिला खनन पदाधिकारी/सभी खनन निरीक्षक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–721/एम0,पटना, दिनांक–10/3/17
प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

9/3/17
प्रधान सचिव

309

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–सी0सी0–03/13–............................/एम0,पटना, दिनांक–

प्रेषक,

हरजोत कौर बम्हरा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/बिहार राज्य भवन निर्माण निगम/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कॉरपोरेशन लि0/नार्थ बिहार पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लि0/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि0/साउथ बिहार पावर जेनरेशन लि0 ।

विषय:– **निर्माण कार्यो में व्यवहृत सभी लघु खनिज के बावत स्वामिस्व के अतिरिक्त जुर्माना की वसूली करते हुए पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग:– **विभागीय पत्रांक 93/एम0 दिनांक 12.01.16, 355/एम0, दिनांक 06.02.17 एवं एतद् विषयक अन्य संदर्भित पत्र।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व प्रेषित प्रसंगधीन पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि :–

2– Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 के नियम–40 (8), 40(9) एवं 40(10) के तहत किसी भी निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले लघु खनिजों (बालू, पत्थर, ईंट मिट्टी, मोरम एवं साधारण मिट्टी) के क्रय एवं व्यवहृत होने पर समनुदान/जुर्माना लिए जाने का प्रावधान है। इस क्रम इस बात का ध्यान रखा जाना है कि विभिन्न कार्य विभागों/तकनीकी ईकाइयों द्वारा जो निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, उनमें व्यवहृत किये गये/किये जा रहे लघु खनिजों (बालू, पत्थर, ईंट मिट्टी, मोरम, साधारण मिट्टी) की प्राप्ति के स्त्रोत वैध हैं, अथवा नहीं, एवं राजस्व (स्वामिस्व) का भुगतान किया गया है, अथवा नहीं।

आप अवगत हैं कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली (BMMC Rules), 1972 के प्रावधानानुसार बगैर समनुदान के राज्य की खनिज सम्पदा के खनन, प्रेषण/परिवहन एवं भंडारण की क्रियाएँ अवैध हैं, एवम् अवैध स्त्रोतों खनिजों की अधिप्राप्तियाँ भी। उपरोक्त विषयक क्रम में ही कहना है कि दिनांक–22.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक में सभी कार्य विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ कराये जा रहे निर्माण कार्यों में व्यवहृत लघु खनिजों के बाबत खनन–राजस्व की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने तथा उक्त निर्माण कार्यों में व्यवहृत लघु खनिजों से संबंधित विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्था लागू करने का निदेश दिया गया है, एवं समय–समय पर इस विषय की गहन समीक्षा भी विभाग/सरकार के स्तर पर की जाती रही है।

यह बात भी विदित है कि इस विषय पर अनुपालन दृढ़ता पूर्वक कराये जाने से लघु खनिजों की प्राप्ति के वैध स्त्रोतों की जानकारी हासिल होगी, एवं अप्रत्यक्ष तौर पर अवैध खनन, प्रेषण, परिवहन एवं भंडारण की क्रियाओं पर भी रोक लगेगी।

उपरोक्त के आलोक में अधोलिखित निदेश पुनः संसूचित किये जाते हैं–

(क) आपके जिला क्षेत्रान्तर्गत कार्य विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, पंचायती राज्य संस्थानों एवं नगर निकायों के द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों में व्यवहृत लघु खनिज की खनन रॉयल्टी की वसूली के बिन्दुओं पर Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 के संदर्भित नियमों के उद्धरण अधोलिखित अंकित किये जाते हैं:–

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
प्राप्ति सं0 658
दिनांक 20.3.17

807
21/3/17

308

(i) **Rule 40(8)** – *" Whoever removes minor mineral without valid lease / permit or on whose behalf such removal is made otherwise than in accordance with these Rules he be an agent, Manager, Contractor or a sub-lessee, shall be presumed to be a party to the illegal removal of the minor mineral and shall be liable to pay (the price thereof and the Government may also recover from such person rent, royalty or taxes as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority) without prejudice to other action being taken against him under these Rules or any other law for the time being in Force.*

(ii) **Rule 40(9)**- *Notwithstanding anything contained in rule 40(8) hereinbefore whosoever, under the terms of an agreement other than an agreement under these rules at any time has received or receives cost of minor mineral/ material including royalty under the terms of the said agreement shall deposit that royalty which is included in such cost of mineral / material in the manner prescribed in rule 43 hereinafter, within seven days from the date of receipt of such cost of mineral / material.*

Any royalty received as such by such person before the commencement of this rule shall be deposited by him within fifteen days from the date of commencement of this rule.

Provided that if a sum equal to the royalty included in the cost of mineral / material so received has already been paid or deposited prior to receipt of cost of the mineral / material including royalty by him he shall not be required to deposit the royalty said above.

Provided further that any royalty payable under this rule, if not paid when due be recovered with interest @ 15 percent per annum as an arrear sum of public demand."

(iii) **Rule 40(10)**- *"To prevent evasion of royalty it is provided that works contractor shall purchase the minerals from lessee/permit holder and authorized dealers only and no Works Department shall receive the bill which the works contractors submit to recover cost etc. of mineral used by them in completion of the works of the Works Department under any agreement from the works contractor if the said bill is not accompanied by an affidavit in Form "M" with particulars in Form "N" of these rules along with a photo copy of the said affidavit and particulars. It shall be the duty of the officer who receives or on whose behalf the said bill is received to send the photocopy of the Affidavit and particulars to the District Mining Officer/Assistant Mining Officer within whose jurisdiction the mineral was allegedly purchased, for verification.*

If contents of the said affidavit on verification by the concerned District Mining Officer/Assistant Mining Officer is found to be false either wholly or partly is shall be presumed that the concerned minerals was obtained by illegal mining and in that event the said District Mining Officer/Assistant Mining Officer shall take action as prescribed in these rules against the maker of the said affidavit.

Provided that if the works contractor deposits or pays the royalty in respect of the mineral so consumed /supplied by him as shown in the aforesaid affidavit and particulars the said District Mining Officer/Assistant

Mining Officer in his discretion may not take action as prescribed in this rule."

Explanation – For the purposes of this rule:-

(i) *"Works Department" means department of the Central or State Government including Company, Corporation, Undertakings, Autonomous body of the government engaging works contractors for any kind of construction on its behalf.*

(ii) *"Works Contractor" means an individual, a firm, a company, an association or body of individuals who under an agreement, with the Works Department work for the said Department."*

(ख) निर्माण कार्यों में व्यवहृत लघु खनिजों की प्राप्ति के वैध स्त्रोत देखे जाने हैं, वैध स्त्रोत की निरंतर जाँच होती रहनी है, एवं निरंतर तौर पर देय रॉयल्टी के भुगतान की समीक्षा भी आवश्यक है। प्रमाद की स्थिति में कार्य संवेदकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निदेश भी विभिन्न विभागीय पत्रों से आपको लगातार संसूचित हैं।

(ग) उपरोक्त से स्पष्ट है कि व्यवहृत सभी लघु खनिजों (ईट, मोरम, पत्थर, बालू साधारण मिट्टी आदि) के क्रय से संबंधित विवरण नियमानुसार विहित प्रपत्र "एम" एवं "एन" में शपथ पत्र के साथ कार्य संवेदक द्वारा कार्य विभाग में समर्पित किया जायेगा, जिसे कार्य विभाग द्वारा संबंधित जिला खनन् कार्यालय में सत्यापन हेतु भेजा जाएगा। कार्य संवदेकों द्वारा सम्पन्न निर्माण कार्यों के विरूद्ध समर्पित विपत्रों का फॉर्म–'एम' एवं 'एन' समर्थित होना नियमानुसार अनिवार्य है।

(घ) ऐसे भी दृष्टांत सामने आते रहें हैं कि जिन मामलों में कार्य संवेदक द्वारा अपने विपत्र के साथ प्रपत्र "एम" एवं "एन" में समर्पित नहीं किया गया है, वैसे मामलों में बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में संबंधित संवेदक के विपत्र से उनके द्वारा व्यवहृत संपूर्ण लघु खनिजों के बाबत स्वामिस्व की राशि की कटौती कर संबंधित कार्य विभाग द्वारा खनन् शीर्ष में जमा कराया जाता है। ऐसे संवेदकों से स्वामिस्व की कटौती के अतिरिक्त स्वामिस्व के समतुल्य जुर्माना राशि की वसूली करने हेतु महालेखाकार द्वारा लगातार आपत्ति की जा रही है, जिसके आलोक में भी कार्रवाई की आवश्यकता है।

(ङ) यह बात पूर्व में भी संसूचित है कि जिन मामलों में कार्य संवेदक द्वारा समर्पित प्रपत्र "एम" एवं "एन" जाँचोपरांत अथवा संबंधित जिला खनन कार्यालय के सत्यापनोपरांत गलत पाए जाते है, उनसे एक ओर जहाँ राज्य सरकार को स्वामिस्व की कोई प्राप्ति नहीं होती है, वहीं दूसरी ओर उक्त संवेदकों द्वारा सरकार को गलत कागजात समर्पित कर धोखा देने का मामला बनता है। ऐसे सभी मामलों में स्वामिस्व के अतिरिक्त उक्त संवेदकों से खनिज मूल्य के समतुल्य जुर्माना की वसूली हेतु कार्रवाई की जाय तथा उनके विरूद्ध धोखाधड़ी के अभियोग में प्राथमिकी दर्ज करायी जाय।

(च) अपने अधीनस्थ सभी कार्य प्रमण्डलों में संचालित सभी योजनाओं तथा उनमें व्यवहृत होनेवाले लघु खनिजों का प्राक्कलित विवरण, कटौती की गयी राशि (जिसे खनन शीर्ष में जमा कराया गया है) एवं व्यवहृत लघु खनिजों की मात्रा/प्रकार से संबंधित योजनावार विवरण संलग्न प्रपत्र में संबंधित जिला खनन कार्यालय में त्रैमासिक आधार पर (quarterly basis) जमा करने का निदेश अपने अधीनस्थ सभी प्रमंडलों/पदाधिकारियों को देना चाहेंगे।

(छ) यदि किसी कार्य विभाग अथवा उसके अधीनस्थ किसी कार्यालय द्वारा पूर्व में की गई कटौती राशि का भुगतान खनन शीर्ष में नहीं किया गया है तथा आपके पास भी लंबित रखा गया है, तो उक्त संपूर्ण राशि को अविलम्ब खनन् शीर्ष में जमा

कराना सुनिश्चित करते हुए इसकी सूचना संबंधित जिला खनन् कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को राजस्व की समुचित वसूली की जिम्मेवारी आपकी भी है । अतः अपने–अपने क्षेत्र में उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

विश्वासभाजन
ह०/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–725 /एम0,पटना, दिनांक–10/3/17

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव 9/3/17

फोटो
(6 प्रति)

1305

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–सी0सी0–03/13–............................/एम0,पटना, दिनांक–

प्रेषक,

हरजोत कौर बम्हरा, भा0प्र0से0

प्रधान सचिव।

सेवा में,

महाप्रबंधक,

नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लि0/नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन/,

क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI, D-03/पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड।

मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी,

पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रू घाट, पटना–800004

मुख्य अभियंता,

बी0एस0एन0एल0(असैनिक), पटना।

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),

पूर्वोत्तर रेलवे, हाजीपुर, वैशाली।

क्षेत्रीय पदाधिकारी,

सड़क, परिवहन एवं राज्य मार्ग विभाग,

कार्यपालक अभियंता,

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,

गैरिसन इंजीनियर,

बिहार रेजिमेन्ट सेन्टर, दानापुर कैन्ट,

विषयः– **निर्माण कार्यो में व्यवहृत सभी लघु खनिज के बावत स्वामिस्व के अतिरिक्त जुर्माना की वसूली करते हुए पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक 93/एम0 दिनांक 12.01.16, 355/एम0, दिनांक 06.02.17 एवं एतद् विषयक अन्य संदर्भित पत्र।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व प्रेषित प्रसंगधीन पत्रों के द्वारा संसूचित विभागीय निदेशों का पुनः अवलोकन किया जाय।

2– आप अवगत हैं कि Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 के नियम–40 (8), 40(9) एवं 40(10) के तहत किसी भी निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले लघु खनिजों (बालू, पत्थर, ईंट मिट्टी, मोरम एवं साधारण मिट्टी) के क्रय एवं व्यवहृत होने के विषय पर आवश्यक कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। इस क्रम इस बात का ध्यान रखा जाना है कि विभिन्न कार्य विभागों/तकनीकी ईकाइयों द्वारा जो निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, उनमें व्यवहृत किये गये/किये जा रहे लघु खनिजों (बालू, पत्थर, ईंट मिट्टी, मोरम, साधारण मिट्टी) की प्राप्ति के स्त्रोत वैध हैं, अथवा नहीं, एवं राजस्व (स्वामिस्व) का भुगतान किया गया है, अथवा नहीं। आप अवगत हैं कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली (BMMC Rules), 1972 के प्रावधानानुसार बगैर समनुदान के राज्य की खनिज सम्पदा के खनन, प्रेषण/परिवहन एवं भंडारण की क्रियाएँ एवम् अवैध स्त्रोतों खनिजों की अधिप्राप्तियाँ भी अवैध हैं।

3. यह बात विदित है कि इस विषय पर अनुपालन दृढ़ता पूर्वक कराये जाने से लघु खनिजों की प्राप्ति के वैध स्त्रोतों की जानकारी हासिल होगी, एवं अप्रत्यक्ष तौर पर अवैध खनन, प्रेषण, परिवहन एवं भंडारण की क्रियाओं पर भी रोक लगेगी। उपरोक्त के आलोक में अधोलिखित निदेश पुनः संसूचित करते हुए अनुरोध है कि संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें :–

All S.E(M) 20/3/17

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ... 657 ... 20.3.17

806 ... 21/3/17

(क) आपके जिला क्षेत्रान्तर्गत कार्य विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, पंचायती राज्य संस्थानों एवं नगर निकायों के द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों में व्यवहृत लघु खनिज की खनन रॉयल्टी की वसूली के बिन्दुओं पर Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 के संदर्भित नियमों के उद्धरण अधोलिखित अंकित किये जाते हैं:–

(i) **Rule 40(8)** – " *Whoever removes minor mineral without valid lease / permit or on whose behalf such removal is made otherwise than in accordance with these Rules he be an agent, Manager, Contractor or a sub-lessee, shall be presumed to be a party to the illegal removal of the minor mineral and shall be liable to pay (the price thereof and the Government may also recover from such person rent, royalty or taxes as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority) without prejudice to other action being taken against him under these Rules or any other law for the time being in Force.*

(ii) **Rule 40(9)-** *Notwithstanding anything contained in rule 40(8) hereinbefore, whosoever, under the terms of an agreement other than an agreement under these rules at any time has received or receives cost of minor mineral / material including royalty under the terms of the said agreement shall deposit that royalty which is included in such cost of mineral / material in the manner prescribed in rule 43 hereinafter, within seven days from the date of receipt of such cost of mineral / material.*

Any royalty received as such by such person before the commencement of this rule shall be deposited by him within fifteen days from the date of commencement of this rule.

Provided that if a sum equal to the royalty included in the cost of mineral / material so received has already been paid or deposited prior to receipt of cost of the mineral / material including royalty by him he shall not be required to deposit the royalty said above.

Provided further that any royalty payable under this rule, if not paid when due be recovered with interest @ 15 percent per annum as an arrear sum of public demand."

(iii) **Rule 40(10)-** *"To prevent evasion of royalty it is provided that works contractor shall purchase the minerals from lessee/permit holder and authorized dealers only and no Works Department shall receive the bill which the works contractors submit to recover cost etc. of mineral used by them in completion of the works of the Works Department under any agreement from the works contractor if the said bill is not accompanied by an affidavit in Form "M" with particulars in Form "N" of these rules along with a photo copy of the said affidavit and particulars. It shall be the duty of the officer who receives or on whose behalf the said bill is received to send the photocopy of the Affidavit and particulars to the District Mining Officer/Assistant Mining Officer within whose jurisdiction the mineral was allegedly purchased, for verification.*

If contents of the said affidavit on verification by the concerned District Mining Officer/Assistant Mining Officer is found to be false either wholly or partly is shall be presumed that the concerned minerals was obtained by illegal mining and in that event the said District Mining